राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

त्रैमासिकपत्रिका

A NEWS LETTER OF RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

वर्ष-4 अंक : ग्यारह वर्ष : 2008 वि.सं. : 2065 बिक्री के लिये नहीं

''अधिकारों के प्रति जागरूक रहो–कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहो''

अध्यक्ष–जस्टिस एन.के. जैन

''अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस'' : 10 दिसम्बर 2008

'अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य भी निभाएँ'

'अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस' की 60 वीं वर्षगांठ पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाऐं।

जहां तक मानवधिकार संरक्षण की बात है, यह तभी संभव है, जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ–साथ कर्तव्य निर्वहन के लिए भी जागरूक हो। हर वर्ष 10 दिसम्बर को 'विश्व मानवाधिकार दिवस' पूरे विश्व में मनाया जाता है, परन्तु लोगों में अभी भी उतनी जागरूकता पैदा नहीं हुई है। इस कार्यक्रम में सिर्फ सभ्रांत वर्ग का जुडना ही काफी नहीं है, बल्कि हर युवा से लेकर स्कूली छात्रों एवं गांव–ढाणी की आम जनता को भी इससे जोडना होगा, जिससे आगे चलकर वह अन्य लोगों को भी मानव अधिकारों के प्रति सचेत कर सके। इसी प्रयास को अन्जाम देने के लिए The Protection of Human Rights Act, 1993 (Act No. 10 of 1994) की धारा 21 (1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राजस्थान राज्य में 18 जनवरी 1999 में आयोग का गठन हुआ तथा मार्च 2000 में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हुई और फिर दिनांक 6/7/2005 को इसका पुनर्गठन हुआ। मैं 16 जुलाई 2005 से राजस्थान राज्य मानव अधिकार के अध्यक्ष पद पर पिछले 40 माह से कार्यरत हूँ, और इस नाते मेरी भी यही कोशिश रही है कि हर परिवाद/मामले में सोच–समझकर निर्णय लिया जाए, जिस से पीडित के अधिकारों का हनन रोका जा सकें। जागरूकता सिर्फ मानव अधिकार क्या है, यह समझने से ही नहीं आएगी, इसके लिए हमें मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता को भी समझना होगा। समर्थ लोग तोअपने अधिकार व मानव अधिकारों के हनन को रोकने में सक्षम है। परन्तु हर वर्ग, खासतौर पर पीडित, दलित, उत्पीडित, कमजोर वर्ग, बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी और हमें अत्यधिक जागरूकता के साथ–साथ संवेदनशील भी बनना होगा, ताकि यदि सडक पर भी किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो, तो हम वहीं रूक कर उसकी मदद करें, ना कि सीधे आगे चले जाऐं और बहाना बनाए कि कानूनी प्रक्रिया का झंझट है या समय नहीं है। जबकि, अब तो आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.2.2007 में भी प्रतिपादित कर दिया है । यदि अब भी मानवता के लिए ही किसी के पास समय नहीं है तो फिर क्या खुद मानव बने रहने का उन्हें अधिकार होना चाहिए, यह तो आपको स्वयं को ही तय करना है।

जहां तक मानवाधिकार आयोग की बात है, शिकायतों के अलावा अखबारों में आने वाले मामलों पर भी आयोग प्रसंज्ञान लेता है। साथ ही यह सभी मानवहित के लिए कार्यरत निजी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर नागरिकों के कर्तव्यों व अधिकारों की रक्षा के साथ–साथ सामाजिक बुराइयों व कुरीतियों को सकारात्मक सोच देने का प्रयास भी कर रहा है। मानव अधिकार आयोग किसी पुलिस, कोर्ट या व्यक्ति विशेष के दायरे में सिमटा हुआ नहीं है, यहां जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके मामले में वस्तुस्थिति मंगाकर व सुनकर दिशा–निर्देश दिए जाते हैं और हर साल आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में रखने के लिए प्रेषित की जाती है। जिन आदेशों की पालना नहीं हुई उनके बारे में सरकार को विधानसभा में कारण बताने होते हैं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज आजादी के 61 सालों बाद भी मानवाधिकारों की बात लोगों को अब तब समझानी पड रही है, जबकि देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है। देश में आज भी गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, के साथ सामाजिक कुरीतियां, तथा अन्धविश्वास प्रचलित है। यह एक जटिल समस्या है। इसके अलावा कुछ लोगों द्वारा स्वतंत्रता का दुरूपयोग करने के कारण हमें आज भी मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करना पड रहा है। यह आयोग जागरूकता बढाने के लिए सरकारी विभागों, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के अध्यापकों व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से आम नागरिकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी देने का भरपूर प्रयास कर रहा है। कुछ निःस्वार्थ एवं सेवाभावी संस्थाऐं भी इस जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग दे रही है। जिसके फलस्वरूप एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा व अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कर मानव अधिकारों के संरक्षण के साथ उनके हनन को रोकने में भी मदद मिल रही है। यह सहयोग जितना अधिक मिलेगा, प्रदेश की जनता के मानव अधिकारों के लिए उतना ही अच्छा होगा। प्रायः यह भी देखने में आता है कि बडी–बडी बातों की चर्चा तो हर कोई करता है परन्तु छोटी–मोटी बातें, जो जीवन में महत्वपूर्ण होती है, उनको नजरअंदाज करते हुए आज इंसान हर कार्य की दूसरों से ही अपेक्षा करता है। यह स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती।

आयोग ने मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता व अधिकारों के संरक्षण के लिए लोकसेवकों एवं जनसाधारण में संवेदनशीलता से काम करने को बढावा दिया है। आयोग द्वारा दिनांक 6.7.2005 से 1.12.2008 तक करीब

14000 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें करीब 12900 निस्तारण कर दिए गये तथा लगभग 1100 परिवाद 1.12.2008 को आयोग में विचाराधीन है।

मेरा यह भी मानना है कि केवल कानून बनने या उपदेश देने से मानवाधिकारों का संरक्षण नहीं होगा, इसके लिए बने हुए कानून को अमल में लाना व स्वयं को कर्तव्यों के प्रति समर्पित करना होगा तथा पारस्परिक हित की बात सोचनी होगी। अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही तरह से पालन करें तो स्वतः ही दूसरों के मानवाधिकारों का हनन कम होगा। इसके अलावा जैसा व्यवहार हम दूसरे से चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें उसके साथ करना होगा। साथ ही हिप्पोक्रेसी को भी छोडना होगा।

मानव अधिकार, जो सबके लिए है, कागजी ना होकर हमें सभी को मिलकर इन्हें कियान्वित करना होगा। हां, आयोग सुशासन में मदद कर सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग सिर्फ सामान्य जनता को ही नहीं बल्कि अवेयरनेस व लीगल लिट्रेसी प्रोग्राम के तहत् जिम्मेदारी निभाने की बात करने वाले लोकसेवकों को भी समझाता है।

अब जब राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत भी बढ गया है, उसी के साथ लोगों में अपने अधिकारों के प्रति सजगता भी बढी है। ऐसे में कर्तव्यों के प्रति भी हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। आयोग द्वारा भारतीय संविधान के आर्टिकल–51 क में नीहित कर्तव्यों की जानकारी देने तथा संकल्प लेने के लिए भेजे गये प्रारूप पर शिक्षा विभाग, शिक्षण संस्थाओं व एन.जी.ओ. आदि का भरपूर समर्थन मिला है। आयोग को पूर्ण विश्वास है कि इस तरह के प्रचार–प्रसार से विद्यार्थियों के मन में अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण एवं देश के प्रति त्याग की भावना का अधिक से अधिक विकास होगा। अत्यन्त हर्ष की बात है कि शिक्षा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में स्कूलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है और करीब 60 स्कूलों द्वारा प्रार्थना के समय इस संकल्प को दोहराया जा रहा है । इसके अलावा कई एन.जी.ओ. अपने कार्यक्रमों में भी आमजन को कर्तव्यों की जानकारी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो प्रशंसनीय है।

देश के हालात आज किसी से छिपे हुए नहीं है। नई सरकार जो बनने जा रही है, उसे बहुत–बहुत मुबारकबाद। आशा है जन प्रतिनिधियों की स्ट्रांग पालिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल से सुशासन में मदद के साथ जरूरतमंद व आमजन को हर क्षेत्र में राहत मिलेगी। इसके अलावा स्वयं शुद्वि के साथ हर क्षेत्र में अग्रणी शिक्षक, बुद्विजीवी, धार्मिक गुरू, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता तथा मीडिया को समाज के पुनः निर्माण में ईमानदारी से अहम भूमिका निभानी होगी तथा समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा। इससे मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी।

'मानवता ही मेरी जाति है, यहीं मेरा धर्म है और इंसानियत ही मानवता है।'

अन्त में मेरी *'अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की 60 वीं वर्षगांठ'* पर लोगों से यही अपेक्षा है कि मानव अधिकारों का संरक्षण करें, यह किसी का अधिकार तो किसी का कर्तव्य है। दोनों की पालना समान रूप से करनी चाहिए। इसी से मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी तथा आयोग अपने उद्देश्यों के प्रति अधिक सफल हो पाएगा और तभी हम देश की एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण बनाने में सहायक होंगे।

न्यायमूर्ति एन.के.जैन
अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर
पूर्व मुख्य न्यायाधिपति मद्रास एवं कर्नाटक हाईकोर्ट

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के महत्वपूर्ण निर्णय एवं दिशा–निर्देश

परिवाद संख्या– 08/17/3023 में आयोग के निर्देशानुसार पेंशन विभाग एवं विशेषाधिकारी (वित्त) ने कुल पेंशनर्स की संख्या– 1,30,000 होना बताया व यह भी अवगत कराया कि सरकार से *Clerification* आ गया है तथा 92 कर्मचारी चुनाव ड्यूटी से आने के बाद प्रकिया शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर पात्र पेंशनर्स को देय लाभ देने का आश्वासन दिया।

प्रकरण संख्या'08/18/3471 में 17 दलित मजदूरों को बंधक बनाये जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण को तुरन्त माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।

प्रकरण संख्या– 08/17/3275 में नगर निगम को 'क्लीन एण्ड ग्रीन जयपुर' के स्लोगन को ध्यान में रखते हुए सफाई, स्वास्थ्य, पर्यावरण के लिए अपने कर्त्तव्यों का संवेदनशीलता से पालन करने और निरन्तर मोनिटरिंग के निर्देश दिए गये।

प्रकरण संख्या– 08/17/3535 में बन्दी मनोज ठाकरान को प्रताडित करने और ईलाज नहीं किए जाने के मामले में महानिदेशक को कानूनसम्मत कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।

विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं/ एन.जी.ओ. द्वारा आयोजित मानव अधिकारों की जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रमों में आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा शिरकत करने के साथ–साथ मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बाबत् चर्चा की गई, जिनमें से कुछ निम्नांकित है :–

1– ***Positive Women Network (PWN+)*** द्वारा राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व यूनिसेफ के साथ महिलाओं के अधिकार विशेषकर एच.आई.वी./एड्स पीडित महिलाओं के अधिकारों के सम्बन्ध में आयोजित कार्यक्रम में आयोग के माननीय सदस्य जस्टिस जगत सिंह, संस्था की अध्यक्ष मैडम कौशल्या, महिला आयोग की अध्यक्षा मैडम तारा भण्डारी, सामाजिक न्याय विभाग के मि. अल्वी, सुधीर वर्मा आईएएस (रिटायर्ड), डा0 श्याम शर्मा,, मैडम अनु (स्टेट कॉर्डिनेटर) ।

2– दिनांक 1.10.2008 को पीपुल्स ट्रस्ट (एन.जी.ओ.) व टैगोर पब्लिक स्कूल– वैशाली नगर द्वारा *Mahatma Gandhi in Present Scenario* पर आयोजित एक कार्यक्रम के साथ–साथ आर्टिकल–51 ए की *Oath Ceremony* में पीपुल्स ट्रस्ट की मैडम प्रेरणा अरोडा, स्कूल के डायरेक्टर पी.डी. सिंह, प्रिंसिपल, मैडम मीना शर्मा, अध्यापकगण, छात्र–छात्राओं के साथ।

3– दिनांक 4.10.2008 को राजस्थान प्रादेशिक अणुव्रत समिति द्वारा अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञजी एवं महातपस्वी युवाचार्य श्री महाश्रमणजी के सानिध्य में आयोजित चुनाव शुद्वि अभियान की एक संगोष्ठी में संचालक जी.एल. नाहर, मुनिश्री किशनलालजी, जस्टिस पानाचन्द जैन, जसवीर सिंह–अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग, अजय नागौरी–संयोजक व अन्य एन.जी.ओ. आदि के साथ।

4— दिनांक 10 अक्टूबर 2008 को **International College for Girls** द्वारा राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सहयोग से आयोजित *UGC Sponsored State Level Conference* on Human Rights and Media में जस्टिस एन.एन. माथुर— वाईस चांसलर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर, आयोग के सदस्य जस्टिस जगत सिंह, प्रो0 पी.डी.शर्मा, प्रो0 सतीश शास्त्री,, एम.डी. कोरानी— मुख्य सूचना आयुक्त, सवितुर प्रसाद— आई.ए.एस., मैडम शबनम अजीज (हंगर प्रोजेक्ट, जयपुर), मैडम रेनुका पामेचा (विविधा वूमेन्स रिसोर्स), प्रभाष जोशी (वरिष्ठ पत्रकार), डा. संजीव भानावत व इसके अतिरिक्त राजेन्द्र बोरा, प्रो. नरेश दाधीच (वाइस चांसलर— वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा, सुनील मेहरोत्रा (आई.पी.एस.), नन्द भारद्वाज, आदि गणमान्य व्यक्तियों एवं स्कूल के अध्यापकगण तथा छात्राओं ने भाग लिया।

5— दिनांक— 25 अक्टूबर 2008 को सी एण्ड सी एसोसियेट्स के तत्वाधान में बनी राजस्थानी फिल्म के प्रीमियर शो में राजाराम मील—अध्यक्ष राजस्थान जाट महासभा, गोविन्द नारायण अग्रवाल— प्रसिद्व समाजसेवी, मुकेश जैन व अन्जू जैन— निर्माता फिल्म, ओमप्रकाश मोदी— डायरेक्टर ओ.के. प्लस समूह, मदनलाल कुमावत— डायरेक्टर शंकर कैसेट्स, अभिनेता अभिनव राकेश व अभिनेत्री जया जगवानी के साथ।

6— दिनांक— 25.10.2008 को सैन्ट्रल एकेडमी सीनीयर सकैण्डरी स्कूल, जयपुर के वार्षिकोत्सव पर मैडम रेनू सिंह, डायरेक्टर—दिशा, दिव्यकांत मिश्रा, मैडम शशि मिश्रा— प्रेसिडेंट, मैडम शोभा पंडित— प्रिंसिपल, अध्यापकगण, छात्र—छात्राओं के साथ

7— दिनांक 14 नवम्बर 2008 को डी.ए.वी. सेन्टनरी पब्लिक स्कूल में बाल मेला व Junior Annual Sports Meet में डी.ए.वी. मैनेजमेन्ट कमेटी के रीजनल डायरेक्टर वाई.डी. जिज्ञासु, अजमेर विश्वविद्यालय की पूर्व वाईस चांसलर मैडम कान्ता आहूजा, लोकल मैनेजमेन्ट कमेटी के जे.पी. सैनी, प्रिंसिपल मिसेज मृणालिनी सोलंकी, करीब 2500 छात्र—छात्राओं, उपस्थित अभिभावकों आदि के साथ।

8— दिनांक 14.11.2008 को जयपुर बाल श्रमिक परियोजना संस्था (श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की परियोजना) द्वारा आयोजित *Child labour eradication programe* के शुभारंभ पर प्रमुख शासन सचिव ललित के. पंवार, संयुक्त श्रम आयुक्त विष्णु शर्मा व चन्द्रभान सिंह राठौड, सहायक श्रम आयुक्त जीवराज सिंह, मैडम ज्योत्सना राजवंशी (यूनिसेफ) उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों व करीब 1000 छोटे बच्चों के साथ।

9— दिनांक— 15.11.2008 को *Modi Institute of Technology & Science* द्वारा आयोग की सहभागिता से आयोजित दो दिवसीय नेशनल सेमिनार *on Human Rights Perspective of Media Trial- Relevance & Responsiveness in Present day Socio-Legal Environment* में सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधिपति जी.एस. सिंघवी, वाइस चांसलर प्रो0 मुखर्जी, डीन प्रो. सतीश शास्त्री के साथ।

10— दिनांक 25.11.2008 *Institute of Development Studies* व *Child Line (1098)* द्वारा 'बाल अभिरक्षा हेतु राष्ट्रीय पहल' विषय पर शिक्षा विभाग व 42 मदरसा स्कूल टीचर्स के साथ आयोजित एक कार्यक्रम में सचिव अशोक सिंघवी आईएएस (रिटा.), सिटी कॉर्डिनेटर मैडम ज्योति, सेन्टर कॉर्डिनेटर, अतुल भट्ट, राजाराम शर्मा, सुरेश बना, मैडम पूनम शर्मा, प्रो0 वर्षा जोशी, व अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ।

11— दिनांक 26.11.2008 को *Institute of Development Studies* व *Child Line (1098)* द्वारा जी.आर.पी. व आर.पी.एफ. के सहयोग से Child Trafficking विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में बी. के. गौड आईपीएस (रिटायर्ड), मैडम ज्योति शर्मा कार्डिनेटर, अतुल भट्ट, मैडम मधु शर्मा, रमेश गौड आदि के साथ।

12— दिनांक 10.12.2008 को बियानी बी.एड गर्ल्स कॉलेज द्वारा मानवाधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में डा0 राजीव बियानी, प्रिंसिपल डा0 कुसुम दत्ता व छात्र—छात्राओं के साथ।

13— दिनांक 11.12.2008 को अग्रवाल बी.एड कॉलेज द्वारा मानव अधिकार विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रिंसिपल डा. साधना गोदिका, मैडम सारडा, व छात्राओं के साथ

14— दिनांक 12.12.2008 को West Zone IA & AD Chess Tournament (2008-2009) की Closing Ceremony में श्री संजीव सलूजा, प्रिंसिपल एकाउंटेंट जनरल (सिविल ऑडिट), सीनीयर ए. जी. आफिसर्स अनादि मिश्र व जे.एस. करापे, आशीष असोपा— जनरल सेकेट्री, रिक्रियेशन क्लब, पुष्पराज मेहता— वेलफेयर ऑफिसर एण्ड सीनीयर वाईस प्रेसिडेंट— रिक्रेयेशन क्लब आदि के साथ।

15— दिनांक 14.12.2008 को KOSHISH- Mastectomy Association of India- Jaipur Chapter के 11वें स्थापना दिवस समारोह में आयकर आयुक्त पुष्पलता जैन, संस्था अध्यक्षा शशि कपूर, सचिव कमल पानगडिया, डा0 डी.पी. सिंह, डा. डी.पी. अग्रवाल, डा. पी.एल. नवलखा, कैंसर पीडित महिलाओं आदि के साथ।

16— दिनांक 20.12.2008 को एस.वी.एम. पब्लिक स्कूल,अम्बावाडी, जयपुर के वार्षिक उत्सव समारोह में वरिष्ठ शिक्षाविद् तेजकरण जी डांडिया, दामोदर प्रसाद जी, डॉ. के.सी.शाह, सी.के. शाह, मैडम जूही शाह—प्रिंसिपल, अभिभावकगण एवं छात्र—छात्राओं के साथ।

17— दिनांक 24.12.2008 को Women & Child Resource Centre, H.C.M. में Prevention of Trafficking of Women & Children में डा0 जयश्री चन्द्रा, प्रोग्राम डायरेक्टर व अन्य डेलिगेट्स के साथ।

मानवाधिकारों से सम्बन्धित विषय सामग्री का जनहित में प्रकाशन :—

आम लोगों में विधिक साक्षरता व जन जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोग द्वारा प्रकाशित बुकलेट्स को निम्न संस्था में पुनः प्रकाशित करवाया :—

मोदी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, फेकल्टी ऑफ ज्यूडिशियल साईंसेज, लक्ष्मणगढ, जिला— सीकर

'अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस' (10 दिसम्बर 2008)

दिनांक 10 दिसम्बर 2008 को आयोग द्वारा जयपुर में 18 शैक्षणिक संस्थाओं व 13 स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ टैगोर इन्टरनेशल एन.आर.आई. स्कूल, मानसरोवर, जयपुर में 'अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस' United Nations Declaration for Human Rights की 60वीं वर्षगाठं UN General Secretary की घोषणा "Dignity and Justice for all of us" के संदेश के साथ आयोग के माननीय अध्यक्ष, शिक्षाविद् श्रृद्वेय तेजकरण जी डांडिया, श्री पी.डी. सिंह व अन्य के साथ मनाया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा जारी मानव अधिकार शपथ पत्र के अनुरूप प्रिंसिपल कमल राठौड ने कार्यक्रम में करीब 2500 बच्चों को शपथ भी दिलाई। इसके अलावा जयपुर में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं व स्वयं सेवी संस्थाओं व अन्य ने अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अतिरिक्त राज्य के संभागीय आयुक्तों व जिला कलेक्टरों ने सभी संभागों/ जिलें में सम्बन्धित अधिकारियों, व शिक्षण संस्थाओं द्वारा मानवाधिकार कार्यक्रम आयोजित करने की सूचना दी।

माननीय सदस्य जस्टिस जगत सिंह ने जिला कलेक्टर, मुग्धा सिन्हा जिला स्तरीय अधिकारीगण/ एडवोकेट्स व अन्य के साथ हनुमानगढ में जनजागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया ।

माननीय सदस्य पुखराज सीरवी ने जोधपुर संभाग में लोगों को मानवाधिकारों की जानकारी दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता अभियान के तहत छात्र–छात्राओं में उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न विषयों, जैसे बालकों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, दलितों के अधिकार, कैंसर एवं एच.आई.वी एड्स, बाल श्रम, पर्यावरण, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, स्वास्थ्य के प्रति सजगता एवं सफाई आदि पर निबन्ध, वाद–विवाद, चित्रकला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन कर प्रोत्साहन स्वरुप छात्रों को प्रशंसा पत्र दिए जाने की अपेक्षा की गई। विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं/ एन.जी.ओ. ने ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर आयोग को सूचित किया, जिस पर आयोग सचिव द्वारा कुछ सर्टिफिकेट जारी किए गये।

आर्टिकल– 51–ए में निहित कर्तव्यों की जागरूकता कार्यक्रम

मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के साथ–साथ आमजन में कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भारतीय संविधान के आर्टिकल– 51ए की मंशा के अनुरूप संकल्प के लिए शुरू की गई मुहिम के तहत् विभिन्न स्कूलों व संस्थाओं द्वारा सुबह की प्रार्थना के समय संकल्प दोहराया जा रहा है। अन्य कई स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा अपने कार्यक्रमों के साथ प्रचार–प्रसार कर आयोग को सूचना दी, जो प्रशंसनीय है। इस त्रैमास में विभिन्न महानुभावों व संस्थाओं द्वारा भी इस सम्बन्ध में उनके सौजन्य से आर्टिकल–51ए का प्रारूप छपवा कर वितरित किया व कुछ स्कूलों ने संकल्प को दोहराने की जानकारी आयोग को दी। जो कुछ निम्न है :–

1. प्रयास, सेन्टर फॉर स्पेशल एजुकेशन एण्ड वोकेशनल ट्रेनिग
2. श्री दिगम्बर जैन नसियां उदयलाल जी ट्रस्ट, जयपुर
3. वर्ल्ड विजन इण्डिया, जयपुर
4. हैडकॉन
5. जैन अनुशीलन केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय
6. नवमंगल शिक्षा समिति, जयपुर
7. जयपुर चाईल्ड लाईन– डायल 1098
8. भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान (एन.जी.ओ. तिहाड जेल)
9. विद्या ट्रस्ट, जयपुर
10. जे.पी.जे. फायनेंसियल सर्विसेज, राजापार्क, जयपुर
11. पहल, पीपुल्स ट्रस्ट, जयपुर
12. डायरेक्टर, टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जयपुर
13. प्रिंसिपल डी.ए.वी. सेन्टेनरी स्कूल, वैशाली नगर, जयपुर
14. श्री महावीर दिगम्बर जैन हाई स्कूल एलुमिनी एसोसियेशन, जयपुर
15. जयपुर बाल श्रमिक परियोजना संस्था, जयपुर
16. प्रिंसिपल सैन्ट्रल एकेडमी, महावीर नगर, जयपुर
17. राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, जयपुर
18. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, राजसमन्द
19. भारतीय यूनेस्को क्लब महासंघ, राजस्थान, भीलवाडा
20. प्रेसिडेंट, लायन्स क्लब, जयपुर (District 323 E -1Club No. 026309)
21. भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, जयपुर
22. मोदी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साईंस, लक्ष्मणगढ
23. प्रिंसिपल अग्रवाल बी.एड. कॉलेज, जयपुर
24. निदेशक, बियानी गर्ल्स कॉलेज, विद्याधर नगर, जयपुर
25. प्रिंसिपल, एस.वी.एम. पब्लिक स्कूल, अम्बावाडी, जयपुर
26. प्रिंसिपल, सुबोध पब्लिक स्कूल, जयपुर
27. जैसवाल कुटीर उद्योग, डी-2, रमन मार्ग, जयपुर-4
28. सुरभि एक्सपोर्ट, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, गुरुनानकपुरा, जयपुर
29. प्रदेश अध्यक्ष/जिला अध्यक्ष, राजस्थान पेंशनर समाज, जयपुर

क्रिसमस व नववर्ष की हार्दिक शुभ कामनाएँ

अध्यक्ष- न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, **सदस्यगण-** जस्टिस जगत सिंह, श्री डी.एस. मीणा एवं श्री पुखराज सिरवी, **सचिव एन.आर. यादव,** महानिरीक्षक पुलिस, राज्य मानव अधिकार आयोग, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।

सम्पादक : उप-सचिव, राजस्थान मानव अधिकार आयोग, जयपुर।

E-mail : rshrc@raj.nic.in **Website :** www.rshrc.nic.in **Fax :** 0141-2227738 **Tel. :** 2227183

Book Post